बिहार सरकार — स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–6 / निदे0आयु0चि0के0(संधा0)–08–66 / 2018– 328

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक,

सेवा में,

आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक–13/03/2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्दों के संधारण हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹14,96,608/– (चौदह लाख छियान्वे हजार छः सौ आठ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्दों के संधारण हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या–18 दिनांक–07.04.2025 के द्वारा कुल कुल ₹1,91,44,500/– (एक करोड़ एकानवे लाख चौवालीस हजार पॉच सौ रू0) मात्र का आवंटन दिया गया था। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं विद्युत्त प्रभार में कुल ₹12,10,000/–(बारह लाख दस हजार)मात्र का अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त हुआ है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के मांग के आलोक में कुल ₹14,96,608/– (चौदह लाख छियान्वे हजार छः सौ आठ रू0) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण– 02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–282–स्वास्थ्य–मांग सं–44–0001–आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण–"कूट सं0–0001.01.01–वेतन, 0001.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0001.01.04–मकान किराया भत्ता, 0001.11.01–यात्रा व्यय, 0001.13.01–कार्यालय व्यय एवं 0001.1304–विद्युत प्रभार, विपत्र कोड 44– 2225022820001 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं । जहॉ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहॉ राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे निकासी की गयी राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में विभाग को भेजेंगे । साथ ही व्यय के पश्चात राशि की बचत का मदवार प्रत्यार्पण विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक 235/वि0 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः समय–समय पर

वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– राशि की नियामानुसार निकासी एवं व्यय का पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

13/3/26

(प्रियंका रानी)
निदेशक।

ज्ञापांक– सं0–6/निदे0आयु0चि0के0(संधा0)–08–66/2018–328 पटना, दिनांक–13/03/2026

प्रतिलिपि :(1) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ बजट शाखा एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0टी0मेनेजर,अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/26
निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 10 स्थायी वाह्य आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों के संधारणार्थ अतिरिक्त राशि का आवंटन

(राशि रूपये में)

क्रमांक	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र का नाम एवं जिला	वेतन (0101)	जीवन यापन भत्ता (0103)	मकान किराया भत्ता (0104)	यात्रा व्यय (1101)	कार्यालय व्यय (1301)	विद्युत प्रभार (1304)	कुल योग (3 से 8 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बटिया (जमुई)	159090	27968	3280	40000	30000	11150	**271488**
2	बरहट (जमुई)	0	0	0	100000	0	0	**100000**
3	रूपाबेल (जमुई)	0	0	0	50000	0	0	**50000**
4	दुलमपुर (जमुई)	7000	0	400	150000	0	0	**157400**
5	मड़वा (कटिहार)	25400	0	1270	100000	100000	0	**226670**
6	,शीतलपुर (कटिहार)	200	0	10	80000	40000	0	**120210**
7	मलिनियां (पूर्णियां)	25400	0	1270	100000	100000	7500	**234170**
8	कुमारीकोठी (पूर्णियां)	25400	0	1270	100000	100000	0	**226670**
9	सारोदाग, कैमूर (भभुआ)	0	0	0	0	110000	0	**110000**
10	रैहल (रोहतास)	0	0	0	0	0	0	**0**
	योग	**242490**	**27968**	**7500**	**720000**	**480000**	**18650**	**1496608**

(चौदह लाख छेयान्वे हजार छः सौ आठ रूपये मात्र)

निदेशक

पत्रांक 328 दिनांक 13/03/2026 का अनुलग्नक ।